अनुसूची 21– प्रपत्र संख्या – 1131

संपत्ति अभभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण–पत्र सं0 19 । आवेदन सं0 19

श्री/श्रीमती/सुश्री ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबन्ध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही । में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों से तारीख से तारीख तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :–

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रति के प्रति विदेन		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं0	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			SRI RAM BADELAVE					
			2329	182	184	390		
						391		

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1 बंधक–पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में

2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त सद्व्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति पर प्रभावित करने वाले किसी अन्य सद्व्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न खातिर ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तयार किया

(हस्ताक्षर) मो० अलाउद्दीन 1.4.19

(पदनाम)

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) 1.4.19

(पदनाम)

कार्यालय अवर निबंधक, फुलवारी शरीफ, पटना

मुहर।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अवर निबंधक फुलवारी शरीफ

टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो सद्व्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथाप्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों में प्रमाणित सद्व्यवहार (एन्जेवमन्ट) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) का प्रतिलिपि देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विभिन्न सम्पत्तियों या अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित शुल्क का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेंगी।

किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में उ तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, दिनांक प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाश परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्व सद्व्यवहार और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए आवेदक द्वारा न बुझे गये ऐसे सद्व्यवहारों और अवभारों को ढूंढ के लिए किसी भी तरह जि न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

श्रीपाद शिंदे

प्रतिलिपि :- कार्यक पर्यवेक्षक को, आवेदक, बड़ेरिया Cons Patna को प्रेषित।

अवर निबंधक
फुलवारी शरीफ
पटना 19